

13



समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,  
जिला-जबलपुर, म०प्र०

रा.अ.प्र.कं.-अपील-5888/2018/कटनी/भू.श.

अपीलार्थी:-

मेसर्स बर्मन लेबोर्टीज प्राइवेट लिमिटेड,  
द्वारा श्री आर०एस० दानी आत्मज श्री एम०के०  
दानी, निवासी-

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष कार्यालय,  
कटनी, म०प्र०

श्री. ए.के.ओ. शर्मा  
आधेवकता द्वारा प्रस्तुत  
प्रस्तुतकार सीडर (राजस्व मंडल)  
15 SEP 2018  
उत्तरार्थी:-  
अधीक्षक  
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि:-

अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर  
महोदय, कटनी, जिला-कटनी द्वारा रा.प्र.कं. 06/ अ- 25 / 2017-18  
में पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित  
तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

अपील के तथ्य


1. यह कि, अपीलार्थी उपरोक्त पते का निवासी है और मेसर्स बर्मन लेबोर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, में उपरोक्त कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर ग्राम मटवारा, प.ह.नं. 78, रा.नि.मं. स्लिमनाबाद, तहसील बहौरीबंद, जिला-कटनी, म०प्र० में स्थित खसरा नंबर-401, रकवा 1.37 हेक्टेयर, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा गया। और उसके द्वारा नामांतरण कर दर्ज कराया गया है।
3. यह कि, आवेदक कंपनी द्वारा उपरोक्त ग्राम में वृक्षारोपण का कार्य



न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/5888/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाक्तों के हस्ताक्षर
5-10-18	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खरे उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत प्रकरण आगे न चलाने के कारण प्रकरण (नोट प्रेस ) में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	